

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

बलराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

किस्म मुकदमा 136 LR Act नं. 37 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.5.2018	<p>के द्वारा</p> <p>प्राची बलराज सिंह उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर को प्राचीना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्राची व उसके आर शिवराज सिंह के द्वारा पक 12 एस की जमाबन्दी सम्बत 2069-2072 के खाता सं 71 के मु.न. 29 मे 0.506 है. भूमि पर 08C बैंक शाखा केसरीसिंहपुर से खोल लिया था जिसका सहायन से जमाबन्दी मे इन्तकाल संख्या 429 रकन मे PNB धनूर हो गया जिसे सही कर 08C शाखा केसरीसिंहपुर किया जावे। जिसके सम्बन्ध मे पत्रवार्ता ललका से रिपोर्ट ली गई उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर के द्वारा उक्तानुसार शुद्धी कीया जाना प्रस्तावित करते हुए प्राची का प्राचीना पत्र व दस्तावेज मैषित किए</p> <p>प्राप्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्राप्त प्राचीना पत्र एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है अतः प्राची का प्राचीना पत्र स्वीकार किया जाकर पक 12 एस की जमाबन्दी सम्बत 2069-2072 के खाता सं 71 के मु.न. 29 मे 0.506 है. भूमि रकन PNB धनूर के स्थान पर रकन 08C शाखा केसरीसिंहपुर अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं आदेश इस आशय का उपतहसीलदार के नाम जारी हो इस खाता के शेष अंकन बदस्तूर रहेगे पत्रावली निष्पत्ति होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर (श्री गंगानगर)